उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-48/2024/एस-2-709/दस-2024
लखनऊ :: दिनॉक: 30 जून, 2024

कार्यालय-आदेश

उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के समूह-'क' के निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित अधिकारियों को उनके वर्तमान पद से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित पद पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ पदनाम	प्रस्तावित पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	श्री अटलराज भाष्कर, वरिष्ठ कोषाधिकारी, शामली।	वरिष्ठ कोषाधिकारी, ललितपुर।	श्री मनोज कुमार सिंह के स्थानान्तरण से हुए रिक्त पद पर
2	श्री कुलदीप सरोज, संयुक्त निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।	संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।	श्री अरूण कुमार सिन्हा के स्थानान्तरण से हुए रिक्त पद पर

2- उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर इसकी सूचना शासन एवं निदेशक कोषागार को उपलब्ध करायेंगे।

3- स्थानान्तरण नीति के बिन्दु-11(i) में उल्लिखित प्राविधान के क्रम में उक्त अधिकारियों के नियंत्रक प्राधिकारियों को भी यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने से संबंधित स्थानान्तरित अधिकारी को तदनुसार तत्काल अवमुक्त कर दें।

संजीव सिंह
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, शामली/ललितपुर।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

4- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।

5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।

6- मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ/शामली/ललितपुर।

7- संबंधित अधिकारीगण।

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव सिंह)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।